

**IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGE, VAISHALI AT  
HAJIPUR  
Civil Misc. No. 122 of 2025**

Ms. Meena Devi

..... Applicant

**Versus**

Sitaram Sahni & others

.....O.P.

17.04.2026

आवेदिका की ओर से हाजरी एवं नवीन शक्ति पत्र के साथ विविध वाद वापसी हेतु आवेदन दाखिल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता आवेदन परिचालित करते हैं। विद्वान अधिवक्ता बिना शर्त वाद वापसी का निवेदन करते हैं।

सुना। प्रार्थना स्वीकार हुआ। वाद वापसी आवेदन के आधार पर वाद को खारीज किया जाता है।

प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश  
वैशाली, हाजीपुर